न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 164 / 2022

प्रार्थीगण

1.भवानीसिंह पुत्र कोजराजसिंह

2.धुड़सिंह पुत्र गुमानसिंह

3.पवनकंवर बेवा गुमानसिंह

4.रवानीकंवर पुत्री सजनसिंह

5.सुशीलाकंवर पुत्री सजनसिंह

(प्रार्थी संख्या 4 से 6 कुदरती वली माता कंचनकंवर बेवा सजनसिंह)

7.कंचनकंवर बेवा सजनसिंह

जाति राजपूत निवासी भीमरलाई तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1.मदरूपाराम पुत्र करनाराम कौम मेगवंशी निवासी भीमरलाई तहसील पचपदरा

2.मूलाराम पुत्र लूम्बाराम

3.बुधाराम पुत्र लूम्बाराम जाति भील निवासी निवासी भीमरलाई तहसील पचपदरा

4.अमराराम पुत्र अचलाराम कौम कुम्हार

5.हुकमाराम पुत्र अचलाराम कौम कुम्हार निवासी भीमरलाई तहसील पचपदरा

6.तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री उम्मेदसिंह चम्पावत,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (S.D.O.)

आदेश

दिनांक 28/9/22

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

...प में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम भीमरलाई पटवार हल्का गोलसोढा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 291 क्षेत्रफल 102–00 बीधा भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम भीमरलाई पटवार हल्का गोलसोढा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 291 क्षेत्रफल 102–00 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम भीमरलाई पटवार हल्का गोलसोढा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 291 क्षेत्रफल 102–00 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है,इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम भीमरलाई पटवार हल्का गोलसोढा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 291 क्षेत्रफल 102–00 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम भीमरलाई पटवार हल्का गोलसोढा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 291 क्षेत्रफल 102–00 बीघा भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2077–2080 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्राथीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भीमरलाई पटवार हल्का गोलसोढा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 291 क्षेत्रफल 102–00 बीधा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकतें है। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28·9·2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी,बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा